फर्द अहकाम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

आवास फायनेन्सियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में एयू हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड) मुख्य व्यावसायिक कार्यालय 201–202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री भैरूसिंह चौहान उम्र–31 वर्ष निवासी 353, विरिया खेड़ी, दिलीप नगर, रतलाम मध्यप्रदेश।

– प्रार्थी / सिक्योर केडिटर

बनाम

1. श्री मिथिलेश कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द्र गर्ग निवासी अजीतगढ़ ग्राम पंचायत अजीतगढ़ तहसील भीम जिला राजसमंद (राजस्थान)
2. श्रीमती कविता देवी पत्नि श्री मिथिलेश कुमार गर्ग निवासी अजीतगढ़ ग्राम पंचायत अजीतगढ़ तहसील भीम जिला राजसमंद (राजस्थान)
3. श्री तेज सिंह पुत्र श्री वेण सिंह निवासी पेला बाडिया, अजीतगढ तहसील भीम जिला राजसमंद

– अप्रार्थीगण / ऋणी / जमानतदार

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 64 / 2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.06.2023 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी आवास फायनेन्सियर्स लिमिटेड, जयपुर ने दिनांक 10.04.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्थान से दिनांक 21.02.2018 को 7,00,000 / – अक्षरे सात लाख रूपये का ऋण जरिये खाता संख्या LNBHI00617-180067280 से लिया था। विपक्षी सं. 1 ने ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल संपतियो को प्रार्थी के पक्ष में रहन रखा है और उस पर निर्मित भवन एवं ढॉचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :– **बंधक सम्पत्ति का विवरण** :– श्री मिथिलेश कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द्र गर्ग निवासी अजीतगढ़ ग्राम पंचायत अजीतगढ़ तहसील भीम जिला	

न्यायालय जिला कलक्टर

राजसमंद (राजस्थान) में स्थित सम्पत्ति, जिसमें भवन, भुमि एवं ढाचॉ आदि, जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है, जिसका नाप 2050.00 वर्गफीट है, तथा पट्टा संख्या 46 हैं, जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है किः– पूर्व : लक्ष्मी देवी का मकान, पश्चिम : सडक, उत्तर : रमेश लाल का मकान, दक्षिण : मांगूलाल का मकान, विपक्षीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 06.11.2021 को एन.पी.ए. में वर्गीकृत कर दिया। विपक्षीगण के खाते में बकाया राशि 7,77,064/– अक्षरे सात लाख सत्ततर हजार चौसठ रूपये दिनांक 25.11.2021 तक देय हैं व दिनांक 26.11.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए विपक्षीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी कम्पनी ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस दिनांक 03.12.2021 को विपक्षीगण को प्रषित किये गये जिसकी प्राप्ति के बाद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया गया हैं। विपक्षीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कॉलम संख्या 2 में वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 03.12.2021 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षीगण को उनके पते पर तामिल होने के बावजुद भी अप्रार्थी/ऋणी, सहऋणी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी आवास फायनेन्सियर्स लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरण :– श्री मिथिलेश कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द्र गर्ग निवासी अजीतगढ़ ग्राम पंचायत अजीतगढ़ तहसील भीम जिला राजसमंद (राजस्थान) में स्थित सम्पत्ति, जिसमें भवन, भुमि एवं ढाचॉ आदि, जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है, जिसका नाप 2050.00 वर्गफीट है, तथा पट्टा संख्या 46 हैं, जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि :– पूर्व : लक्ष्मी देवी का मकान, पश्चिम : सडक, उत्तर : रमेश लाल का मकान, दक्षिण : मांगूलाल का मकान।

उपरोक्त प्रकराणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं

की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी आवास फायनेन्सियर्स लिमिटेड जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी आवास फायनेन्सियर्स लिमिटेड शाखा कार्यालय, राजसमंद को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)